rajasthanpatrika.com
राजस्थान पत्रिका . जोधपुर .मंगलवार. 08.05.2018

सरकार के भरोसे 1600 करोड़ का निवेश और तोड़ा भरोसा

थमाया 200 करोड़ का डिमांड नोटिस

हाईकोर्ट ने रिकवरी पर लगाई अंतरिम रोक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डीबी गुप्ता की ओर से आदित्य बिड़ला समूह की एक कंपनी को जारी 200 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए दिल्ली से आए वरिष्ठ अधिवक्ता एस. गणेश और रमित मेहता ने कहा कि आदित्य बिड़ला ग्रुप के कुमार मंगलम बिड़ला ने वर्ष 2003 में चितौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा में राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) के तहत 16 सौ करोड़ रुपए के निवेश के साथ नई इकाई शुरू की, जिसमें करीब 300 लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया। स्कीम के तहत कंपनी को अपनी नई यूनिट के लिए जो अतिरिक्त वाणिज्यिक कर देय था, उसमें राज्य सरकार की ओर से 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जानी थी। इसके तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में एक एमओयू भी किया और बाकायदा टैक्स में 75 प्रतिशत छूट प्राप्त होती रही। लेकिन सरकार ने अचानक वादाखिलाफी करते हुए 12 मार्च 2018 को एमाओयू को दरकिनार करते हुए टैक्स की छूट 75 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत कर दी। साथी ही अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने 4 अप्रेल 2018 को डिमांड नोटिस जारी कर 200 करोड़ की रिकवरी निकाल दी।